न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 91/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति साद 2बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति साद 3रामकंवरी पत्नी भूराराम जाति साद निवासीगण मेडतारोड तहसील मेडता।		1भंवरलाल पुत्र मथुरादास जाति साद निवासी मेडतारोड के कायम मुकामान 1/1श्रीमती रूकमणी पत्नी स्व. भंवरलाल 1/2नंदलाल पुत्र स्व. भंवरलाल 1/3बाबूलाल पुत्र स्व. भंवरलाल जातियान साद निवासीगण मेडतारोड 1/4जंवरी देवी पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी महावीर प्रसाद जाति साद निवासी सुनारो का बास, रियाबडी तहसील रियाबडी 1/5इंदिरा देवी पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी श्रीराम जाति साद निवासी गीताभवन कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के स्कूल के पास, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर। 2जमनादेवी पत्नी मदनलाल जाति साद 3संजय पुत्र मदनलाल जाति साद 4श्यामसुदर पुत्र मदनलाल 5सरोज पुत्री मदनलाल जाति साद 6बेबी पुत्री मदनलाल जाति साद निवासीगण मेडतारोड तहसील मेडता। 7ग्राम पंचायत मेडतारोड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेडतारोड। 8रामानंद पुत्र माणकलाल जाति गुजर गौड ब्राह्मण निवासी मेडतारोड हाल निवासी समदडी जरिये आम मुख्तार मुन्नालाल पुत्र रामनिवास जाति लटियाल जाट निवासी मेडतारोड जिला नागौर।

उपस्थिति–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता, अप्रार्थी 8 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 26-07-2021

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेडतारोड के प्रस्ताव दिनांक 30.04.91 व पटटा सं. 118 दिनांक 20.05.91 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 12.04.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया. अप्रार्थी सं. 7 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है। दौराने कार्यवाही रामानंद पुत्र माणकलाल द्वारा आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.16 को प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया जिस पर उसे अप्रार्थी पक्षकार दिनांक 24.06.19 को रेकर्ड पर लिया गया तथा अप्रार्थी सं. 8 रामानंद की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल सं. 149/90–91 की फोटोप्रति, पटटा सं. 118 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी सं. 1 से 6 ने पंचायत रजिस्टर की फोटोप्रति, विद्युत बिल की फोटोप्रति, रसीदो की फोटोप्रति, बिल की फोटोप्रति, नकल आवेदन की फोटोप्रति, आवेदन दिनांक 24.5.16 की फोटोप्रति, दो फोटो, मूल शपथ पत्र 4, भवन निर्माण बाबत आवेदन पत्र दिनांक 31.3.18 की फोटोप्रति, आम सूचना बाबत अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 16.4.18 की फोटोप्रति, अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 30.4.18 की फोटोप्रति, रसीद अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 30.4.18 की फोटोप्रति, अखबार मे विज्ञप्ति दिनांक 17.4.18 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 8.4.18, 10.4.18, 10.4.18, 11.4.18 की फोटोप्रति, रजिस्टर्ड पटटा दिनांक 14.5.18 की फोटोप्रति, पटटा दिनांक 5.10.17 की फोटोप्रति, निगरानी निर्णय दिनांक 5.7.17 की फोटोप्रति तथा पत्र दिनांक 5.9.16 की फोटोप्रति तथा अप्राथी सं. 8 ने पटटा सं. 27 की फोटोप्रति, माणकलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, मुख्त्यारनामे की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के वारिसान प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, नजरी नक्शा की फोटोप्रति, विक्रय विलेख सं. 42 की फोटोप्रति, पटटा सं. 118 की फोटोप्रति, चुनाव लिस्ट 1971 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत मेडतारोड द्वारा जारी पत्र की फोटोप्रति, माणकलाल के हक मे जारी बेचान रजिस्ट्री 1965 की फोटोप्रति, प्रार्थी रामानंद का शपथ पत्र, निर्णय दिनांक 5.7.17 की फोटोप्रति, पंचायत समिति मेडता द्वारा गुलाब पत्नी दौलत के नाम मे जारी पटटे की फोटोप्रति, पंचायत समिति मेडता द्वारा माणकलाल के नाम जारी पटटे की फोटोप्रति, लिखापढी की फोटोप्रति, विक्रय विलेख दिनांक 2.3.65 की फोटोप्रति, भंवरलाल के नाम जारी पटटे की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, नोटिस के जवाब की फोटोप्रति तथा शिकायत आवेदन व उस पर की गई जांच की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

अपर कलक्टर, नागौर

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रस्ताव आदेश व पटटा जैर निगरानी खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2(2)– विवादित जायगा प्रार्थीगण के दादा व ससुर स्व. मथुरादास के स्वामित्व की कब्जासुद सम्पति रही है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के पुस्तेनी सम्पति है जिसमे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित करता है तथा संयुक्त कब्जा है ऐसी स्थिति मे केवल मात्र भंवरलाल व मदनलाल को स्वयं के नाम से पटटा जारी करवाने का कोई अधिकार नही था फिर भी गलत रूप से पुश्तेनी सम्पति को अकेले हडपने की नियत से आवेदन पेश किया जिस पर गलत रूप से आदेश पारित कर पटटा जारी किया गया है जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

2(3)–ग्राम पंचायत ने उक्त पत्रावली पेश होने पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं राजस्थान पंचायत राज नियम मे दिये गये प्रावधानो की कोई पालना नही की व न ही विधिवत रूप से भूमि के निरीक्षण के संबंध मे पंचो को नियुक्त किया पत्रावली की आदेशिका अनुसार पंच करणसिंह रामेश्वर व भीखाराम को मौका निरीक्षण हेतु मुकर्रर किया गया था परंतु उक्त तीनो पंचो ने किसी भी प्रकार से भूमि का निरीक्षण नही किया व न ही कोई निरीक्षण रिपोर्ट ही पत्रावली पर पेश की बल्कि जो निरीक्षण प्रपत्र पत्रावली पर पेश किया गया वह किसी गणपत भंवरूराम वगैरा द्वारा करना बताया गया जिन्हे भूमि के निरीक्षण हेतु नियुक्त नही किया गया व न ही उक्त व्यक्तियो ने किसी प्रकार की निरीक्षण बाबत नक्शा ही पेश किया व न ही किसी प्रकार की संपूर्ण रिपोर्ट पेश की बल्कि रिपोर्ट मे चंद रोज से कब्जा होना गलत रूप से बताया गया है ऐसी स्थिति मे आबादी भूमि के निरीक्षण के संबंध मे दिये गये नियमो की कोई पालना नही की गयी व बिना नियमो की पालना के गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। जो नियमानुसार नही होने से व विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2(4)–भूमि से पटटा बनाने के संबंध मे विधिवत रूप से आपति आमत्रंण सूचना जारी नही की जबकि आपति आमत्रंण सूचना जारी कर सहज दृश्य स्थल पर चस्पा किया जाना व विवादित स्थल पर चस्पा किया जाना आवश्यक है परंतु ऐसी किसी प्रकार की आपति आमत्रंण सूचना जारी नही की गई व न ही इस संबंध मे कोई प्रक्रिया पालना ही की गई इसलिये भी प्रस्ताव व पटटा जैर निगरानी विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)–उक्त प्रकरण मे ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी व्यक्ति के न तो शपथ पत्र पर बयान लिये व न ही किसी प्रकार की पूछताछ की गई व न ही इस संबंध मे दिये गये नियमो की पालना की गई व बिना नियमो की पालना किये ही संपूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय रूप से करते हुए प्रस्ताव व पटटा जारी किया गया है जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)–विवादित पटटा पर न तो ग्राम सेवक के हस्ताक्षर किये गये है व न ही ग्राम सेवक द्वारा किसी प्रकार का नक्शा ही तस्दीक किया गया व ग्राम पंचायत की भूमि के निष्पादन के संबंध मे जो नियम व उपनियम बने हुए है उनकी कोई पालना नही की गई व संपूर्ण कार्यवाही नियमो के विपरीत जाकर अवैध रूप से की गई है इसलिये भी प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 से 6 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि

3(1)–उक्त निगरानी मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लघंन नही हुआ है और न ही इस बारे मे निगरानी मे कोई कथन किया गया है। इस आधार पर उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)–उक्त निगरानी प्रथम दृष्टया मयाद बाहर है क्योकि उक्त निगरानी मे जिस आदेश को चुनोती दी गई है वह आदेश आज से करीबन 30–31 वर्ष पहले ही पारित हो चुका है तथा उसकी निगरानी 25–26 वर्षो के पश्चात पेश की गई है जो अत्यधिक विलंब के कारण इस आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)–जिस जायगा का पटटा जारी हुआ है वहा पर 1982 के पहले से विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है।

3(4)–उक्त पटटा जारी करने के संबंध मे विधिवत रूप से पत्रावली कायम होकर संपूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिवत रूप से पटटा जारी हुआ है जिसमे कोई अवैधता नही है।

3(5)–उक्त पटटे के संबंध मे पूर्व मे एक निगरानी रामानंद बनाम रूकमाई के शीर्षक से न्यायालय हाजा मे चली थी। जो निगरानी न्यायालय हाजा द्वारा पंचायत निगरानी सं. 141/16 अनवान रामानंद बनाम रूकमाई को दिनांक 05.07.17 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार से इसी पटटे को लेकर पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी खारिज की जा चुकी है। इसलिये इस आधार पर भी उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)–उक्त प्रकरण मे पटटा जारी करने के संबंध मे मौका निरीक्षण के पंचान के नाम मे जो अंतर आया है वह भी उन पंचो के नाम को काटकर पंचायत द्वारा जो नये पंच भेजे गये थे उनके द्वारा मौका निरीक्षण करके रिपोर्ट दी गई है ऐसी स्थिति मे केवल पंचो के नाम मे अंतर आ जाने मात्र के आधार पर नियमो की अनदेखी या प्रक्रिया की त्रुटि नही का जा सकता।

3(7)–पंचायत निगरानी मे प्रार्थीगण ने स्वामित्व घोषणा बाबत तथ्य उल्लेखित किये है इन सब तथ्यो का निर्धारण इस प्रकार से पंचायत निगरानी मे नही हो सकता इसके लिये विनिर्दिष्टत अनुतोष अधिनियम मे उपचार उपलब्ध हैं जहां पर प्रार्थीगण चाराजोही कर सकते है। इस प्रकार से पंचायत निगरानी मे कोई अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

3(8)–बकोल प्रार्थीगण के पक्षकारो के बीच भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है जहां तक भूमि के मालिकाना हक का प्रश्न है इस संबंध मे मालिकाना हक को लेकर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। इस आधार पर उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे 2012(1)(राज) पेज 506, डीएनजे 2012(2)(राज) पेज 602, डीएनजे 2012(2)(राज) पेज 1002, डीएनजे 2008(2)(राज) पेज 735, आरबीजे (19)2012 पेज 686, आरआरडी 14.4.11 पेज 228, आरबीजे (18)2011 पेज 352, आरबीजे (17)2010 पेज 289, आरबीजे (17)2010 पेज 628 नजीरे पेश की है।

4 – वकील अप्रार्थी सं. 8 ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि

4(1)– भंवरलाल ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर एक एक गज कम ज्यादा कर माणकलाल के पटासुद क्रयसुद स्वामित्व की भूमि का अवैध रूप से नाजायज पटा धोखे से प्राप्त कर लिया। यह भूमि कभी भी भंवरलाल की नही थी। ग्राम पंचायत को माणकलाल यानि रामानंद वगैरा के स्वामित्व कब्जे की भूमि का पटटा भंवरलाल के नाम जारी करने का अधिकार नही था।

4(2)– ग्राम पंचायत को प्रार्थी रामानंद के अधिवक्ता द्वारा नोटिस भेजा गया उस नोटिस का जवाब ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया। जिस जवाब मे बताया गया कि माणकलाल के पटटे की भूमि और भंवरलाल के पटटे की भूमि एक ही है। यानि एक ही जगह के दो लोगो को पटटा जारी किया गया है।

4(3)– माणकलाल को 2.3.65 को पटटा जारी किया गया तथा भंवरलाल को 20.5.91 को पटटा जारी किया गया। पटटे के ऊपर पटटा जारी नही किया जा सकता था। पश्चातवर्ती पटटा जो भंवरलाल को दिया गया है। वह अवैध, विधि विरूद्व तथा बिना अधिकार के दिया गया है। भंवरलाल को पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नही था। भंवरलाल को पटटा जारी करने से पूर्व माणकलाल को सुनवाई साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पटटा जारी किया गया तथा बिना अधिकार के जारी किया गया।

4(4)– अवैध और बिना क्षेत्राधिकार के जारी पटटो को खारिज करने की कोई समय सीमा नही है और न ही राजस्थाना पंचायत राज अधिनियम मे समय सीमा निश्चित की गई है। प्रार्थी आवेदनकर्ता को पूर्व मे भंवरलाल को जारी पटटे की शुरू मे जानकारी नही हो सकी थी।

4(5)– पडोसी गुलाबदेवी पत्नी दौलतराम को पटटा ग्राम पंचायत से 9.8.64 को जारी हुआ उसमे भी पश्चिमी पडोस रामस्वरूप बताया गया है और इसी रामस्वरूप से माणकलाल ने बेचान रजिस्ट्री भूमि की खरीद की तथा खरीद के बाद ग्राम पंचायत ने माणकलाल को पटटा जारी किया।

4(6)– धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैधता पाये जाने पर स्वप्रेरणा से पटटा खारिज किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे (राज) 2010(3) पेज 1147 से 1151 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पेज 50 से 51 नजीरे पेश की।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार –

5(1)– प्रार्थी द्वारा मिसल सं. 149 / 1990–91 के द्वारा पटटा सं. 118 अप्रार्थी सं. 1 भंवरलाल व अप्रार्थी सं. 2 से 6 के पति व पिता मदनलाल के पक्ष मे दिनांक 20.05.1991 को जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5(2)– प्रार्थी द्वारा पटटा जैर निगरानी की जानकारी दिनांक 16.03.2016 को होना बताते हुए देरी कन्डोन किये जाने हेतु मांग की गई है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 भंवरलाल एवं अप्रार्थी सं. 2 से 6 के पति व पिता प्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्य है तथा उन्हे दिनांक 20.05.91 को जारी पटटे की जानकारी 25 वर्ष पश्चात हुई हो, ऐसे कोई ठोस आधार नही है तथा देरी के लिये प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना जरूरी होता है। प्रार्थी ने अपने मियाद प्रार्थना पत्र मे मात्र सम्पति के विभाजन को लेकर विवाद होने पर हिस्से की मांग के कारण प्रथम बार जानकारी 16.03.16 को होना बतायी है। मगर इस कथन के समर्थन मे कोई ठोस आधार रिकार्ड पर नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का मियाद प्रार्थना पत्र भी ठोस आधारो पर प्रतीत नही होता है।

5(3)– प्रकरण मे अप्रार्थी सं. 8 द्वारा माणकलाल पुत्र पन्नालाल के पक्ष मे वर्ष 1965 मे जारी पटटा दस्तावेज एवं भंवरलाल, मदनलाल के हक मे दिनांक 20.05.91 को जारी पटटा सं. 118 जैर निगरानी का नाप चोप का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से उत्तर की सीमा मे 2 फुट का व पूर्वी सीमा मे 1 फुट व दक्षिण सीमा मे 1.5 फुट व पश्चिमी सीमा मे 3 फुट का लंबाई चौडाई मे अंतर प्रकट होता है।

5(4)– प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 6 द्वारा आराजी भूमि को लेकर वर्ष 1965 व पटटा जैर निगरानी दिनांक 20.05.91 एक ही जगह के दो पटटे जारी होने को लेकर उजर किया गया है। जिससे विवादित भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति होना प्रकट होता है। यदि पक्षकारो के मध्य स्वामित्व को लेकर कोई विवाद की

उपजिला कलेक्टर, नावाँ

स्थिति हो तो स्वत्व अधिकार इस न्यायालय द्वारा तय नही किये जा सकते है। इस संबंध मे उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये।

5(5)–प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी मे यह कथन किया गया है कि मौका निरीक्षण प्रपत्र मे अंकित वार्ड पंच एवं पंचायत पत्रावली आदेशिका मे अंकित वार्ड पंचो के नाम मे अंतर है। इस संबध मे पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका मे पंच करणसिंह, रामेश्वर व भीखाराम को मौका निरीक्षण के लिये मुकर्रर किया जाना अंकित है जबकि आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र मे रामचन्द्र, भंवरूराम व करणसिंह के हस्ताक्षर होने प्रतीत होते है। भंवरूराम उक्त अवधि मे वार्ड पंच नही रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार या प्लीडिंग नही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित की गई पत्रावली के अनुसार पंचो की कमेठी नियुक्त किया जाना, एक माह का उजरदारी नोटिस जारी किया जाना व दिनांक 30.04.1991 को पटटा जारी किये जाने का विनिश्चय किया जाना रिकार्ड से प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर पारित संकल्पो का विवरण ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही पंजिका मे संधारित किया जाता है। मगर आलोच्य पटटे की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही पंजिका ग्राम पंचायत के रेकर्ड पर उपलब्ध नही होना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया है। ऐसी स्थिति मे पटटा जैर निगरानी जारी करने से संबंधित संकल्प ग्राम पंचायत की बैठक मे नही लिये गये हो, ऐसी अवधारणा नही की जा सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचाययत द्वारा पटटा विहित प्रक्रिया अपनाते हुए ही पटटा जैर निगरानी जारी किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर निगरानी मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5(6)–इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा निगरानी सं. 141/2016 रामानंद बनाम रूकमाई मे ग्राम पंचायत मेडतारोड द्वारा जारी पटटा सं 118 जैर निगरानी को लेकर प्रकरण दिनांक 05.07.17 को निरस्त किया गया। जिसे लेकर किसी पक्ष द्वारा कोई अपील की गई हो, ऐसा भी नही है तथा उक्त निर्णय आज भी कायम है। इसी स्थिति को लेकर भी कोई विपरीत तथ्य प्रकाश मे नही आये है।

6– उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधारो पर नही है तथा न ही अप्रार्थी सं. 8 द्वारा प्रस्तुत उजरदारी ठोस आधारो पर है। ऐसी स्थिति मे निगरानी स्वीकार किये योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

7– निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर